

मुकदमे पर आगे बढ़ने से पहले. पार्टियों को 9 अक्टूबर, 1967 को ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय में इस पुनरीक्षण याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ताओं द्वारा 30 अगस्त, 1967 को एक आवेदन दायर किया गया था कि याचिकाकर्ताओं को उनके एकमात्र कानूनी प्रतिनिधि के रूप में chhodkr दूसरे वादी मुंशी राम की भी 10 मार्च, 1967 को मृत्यु हो गई थी। ऐसा कहा गया था कि मृतक ने उनके पक्ष में एक वसीयत भी छोड़ी थी, जिसमें उनकी बेटी श्रीमती विद्या सहित अन्य सभी को छोड़कर अपनी पूरी संपत्ति उन्हें दे दी गई थी। विद्वान विचारण न्यायाधीश श्रीमती विद्या और विरोधी पक्ष को नोटिस जारी कर इस मामले का भी निस्तारण करेंगे।

बी.आर.टी.

अपीलीय सिविल

माननीय न्यायमूर्ति बेजोर प्रेम चंद पंडित, जे. के समक्ष

घनशाम दास और अन्य - अपीलकर्ता

बनाम

नगर पालिका समिति, भिवानी एवं अन्य - प्रतिवादी

Regular Second appeal No. 1189 of 1963

26 सितम्बर 1967

पंजाब नगरपालिका अधिनियम (III of 1911) धारा 61, 62 और 62 ए - जल कर पहले से ही इमारतों और भूमि के वार्षिक मूल्य पर 31 प्रतिशत की दर से लगाया गया, इसके बाद 61 प्रतिशत की दर से हाउसटेक्स लगाया गया - भवनों एवं भूमियों के वार्षिक मूल्य पर- क्या अधिरोपित किया जा सकता है।

अभिर्धारित किया गया कि जब पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 की धारा 61(1) (ए) (i), भवनों और भूमि पर मालिक द्वारा देय कर की बात करती है, जो वार्षिक मूल्य पर 12 1/2 प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो इसका मतलब है कि शासन द्वारा भवनों एवं भूमियों पर कर लगाने हेतु वार्षिक मूल्य पर 12 1/2 प्रतिशत की बाह्य सीमा निर्धारित की गयी है। इमारतों और जमीनों पर मालिक द्वारा देय कर को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है और अलग-अलग नाम दिए जा सकते हैं, जैसे, गृह कर और जल कर, लेकिन कानून द्वारा एक सीमा तय की गई है और वह यह है कि और इमारतों को मिलाकर उनके वार्षिक मूल्य का 124 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

घनशाम दास, आदि बनाम नगरपालिका समिति, भिवानी, आदि (पंडित, जे.)

श्री जी.एस. बेदी, उन्नत अपीलीय शक्तियों वाले वरिष्ठ उप- न्यायाधीश, हिसार के न्यायालय के दिनांक 21 मई, 1963 के आदेश के विरुद्ध दूसरी अपील, श्री भारत भूषण, उप- न्यायाधीश, तृतीय श्रेणी, हिसार के फैसले को उलटते हुए, 29 फरवरी, 1960; और वादी के मुकदमे को पूरे जुर्माने के साथ खारिज कर दिया।

अपीलकर्ताओं की ओर से जे.एन. कौशल, वरिष्ठ अधिवक्ता और एम. आर. अगोरी, अधिवक्ता।

प्रतिवादी संख्या 1 के लिए एच. एल. सरैन, वरिष्ठ अधिवक्ता, और बलराज बहल और बहल सिंह मलिक, अधिवक्ता।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति पंडित, जे - इस नियमित दूसरी अपील में तथ्यों के बारे में पार्टियों के वकील के बीच कोई विवाद नहीं है और मेरे सामने एकमात्र प्रश्न जो तर्क दिया गया है वह कानून से संबंधित है।

21 मई, 1955 को, एक अधिसूचना द्वारा, पंजाब के राज्यपाल ने एक विशेष आदेश जारी कर नगरपालिका समिति, भिवानी, जिला हिसार, प्रतिवादी को निर्देश दिया कि वह भिवानी शहर में इमारतों और भूमि के मालिकों पर हाउस टैक्स लगाए। ये निर्देश संभवतः समिति की आय बढ़ाने के लिए जारी किये गये थे। चूंकि उक्त समिति ने सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया, इसलिए उन्होंने 10 अप्रैल, 1956 को पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 62- ए के तहत कार्रवाई करते हुए एक और अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

"हिसार जिले में नगरपालिका समिति, भिवानी, पंजाब सरकार की अधिसूचना संख्या 10311- सी-54/28762, दिनांक 21 मई, 1955 में अधिसूचित पंजाब के राज्यपाल के विशेष आदेश में निहित निर्देशों को पूरा करने में विफल रही है। पंजाब के राज्यपाल, पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 की धारा 62- ए की उप- धारा (3) द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, देय गृह- कर लगाने को अधिसूचित करते हैं। इमारतों और जमीनों के मालिकों को उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में परिभाषित अनुसार उनके वार्षिक मूल्य पर 6 1/4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से छूट दी जाएगी बशर्ते कि नीचे उल्लिखित संपत्ति होगी :-*

*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**

अधिनियम की धारा 62- ए(3) के प्रावधानों के तहत सरकार की इस अधिसूचना को इस तरह संचालित किया जाना था जैसे कि यह समिति द्वारा पारित विधिवत एक संकल्प किया गया हो और कर को सरकार की मंजूरी के साथ समिति द्वारा लगाया गया माना जाएगा। इस अधिसूचना के अनुसरण में समिति द्वारा कर निर्धारण की सूचियाँ तैयार की गयीं तथा कर की वसूली प्रारम्भ की जाने लगी। इसके बाद, भिवानी शहर के निवासी घनशाम दास और अन्य लोगों ने प्रतिवादी-समिति को वादी से कर वसूलने से अनिवार्य रूप से रोकने के लिए समिति के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया, इस आधार पर कि यह अवैध और अधिकारातीत था और उन पर थोपा नहीं जा सका था

इस मुकदमे का समिति ने विरोध किया, जिसने दलील दी कि उक्त कर वादी पर वैध रूप से लगाया गया था और प्रतिवादी को उनसे इसकी वसूली करने का अधिकार था।

ट्रायल न्यायाधीश ने यह कहते हुए मुकदमे का फैसला सुनाया कि लगाया गया गृह कर अवैध और अधिकारातीत था। हालाँकि, अपील पर विद्वान वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया और वादी के मुकदमे को इस निष्कर्ष पर खारिज कर दिया कि उक्त कर न तो गैरकानूनी था और न ही अनुचित था। वादीगण द्वितीय अपील में यहां आये हैं।

अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया तर्क यह था कि समिति ने भिवानी नगर पालिका की सीमा के भीतर स्थित सभी भवनों के मूल्य पर 3 रुपये और 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से जल कर लगाया था। 25 जुलाई, 1936. उस कर को लागू करने के बाद, सरकार अधिनियम की धारा 62- ए(3) के प्रावधानों के तहत स्वप्रेरणा से गृह- कर नहीं लगा सकती थी। उनका तर्क था कि सरकार धारा 62- ए(3) के तहत तभी कर लगा सकती है जब समिति धारा 62- ए की उप- धारा (1) के तहत पारित किसी भी वैध आदेश को पूरा करने में विफल रही हो। मौजूदा मामले में, सरकार कानूनी तौर पर समिति को धारा 62- ए की उप- धारा (1) के तहत गृह- कर लगाने की आवश्यकता नहीं कर सकती थी, जबकि समिति 1936 में पहले ही जल- कर लगा चुकी थी, क्योंकि, धारा 62- ए के तहत (1). राज्य सरकार समिति से धारा 61 में उल्लिखित कोई भी कर लगाने की अपेक्षा कर सकती है जो पहले से नहीं लगाया गया था। वर्तमान मामले में, जल कर पहले ही समिति द्वारा लगाया जा चुका था और यह कर धारा 61 में उल्लिखित करों के अंतर्गत आता था।

यह निर्विवाद है कि समिति द्वारा जल- कर पंजाब सरकार की अधिसूचना, दिनांक 18 अप्रैल, 1936 के माध्यम से लगाया गया था, जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: -

"उप- धारा के प्रावधानों के अनुसार (1) पंजाब नगरपालिका अधिनियम 1911 की धारा 62 के अनुसार, इसे अधिसूचित किया जाता है पंजाब सरकार (स्थानीय स्वशासन मंत्रालय) की पिछली मंजूरी के साथ, हिसार जिले में भिवानी की नगर समिति ने तीन रुपये और दो आने प्रति की दर से जल- कर लगाया है। 25 जुलाई, 1936 से, भिवानी नगर पालिका की सीमा में स्थित सभी भवनों के वार्षिक मूल्य पर, प्रति वर्ष, प्रतिशत, बशर्ते कि निम्नलिखित के संबंध में कोई कर नहीं लगाया जाएगा :-

* * * * *

यह देखा जा सकता है कि यह कर पंजाब सरकार की पिछली मंजूरी से लगाया गया था। अधिनियम की धारा 62 कर लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है, जबकि धारा 61 में विभिन्न करों का उल्लेख है जो समिति द्वारा लगाए जा सकते हैं। इन खंडों का प्रासंगिक भाग, जैसा कि वे थे, 1936 का है जब उपरोक्त अधिसूचना जारी की गई थी, इस प्रकार पढ़ें:

"61. किसी भी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन जो स्थानीय सरकार इस संबंध में बना सकती है, और नियमों के अधीन, कोई भी समिति, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समय- समय पर, और इस अधिनियम द्वारा निर्देशित तरीके से, लागू कर सकती है संपूर्ण नगर पालिका या उसके किसी भाग में निम्नलिखित में से कोई भी कर, अर्थात्:-

घनशाम दास, आदि बनाम नगरपालिका समिति, भिवानी, आदि (पंडित, जे.)

(1) (ए) भवन और भूमि पर मालिक द्वारा देय कर-

(i) वार्षिक मूल्य की साढ़े बारह प्रतिशत से अधिक नहीं

(ii) * * * * *

(iii) * * * * *

(बी) * * * * *

(सी) * * * * *

(डी) * * * * *

(ई) * * * * *

(एफ) * * * * *

बशर्ते कि कोई समिति स्थानीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कोई कर नहीं लगाएगी

(i) इसमें तीन- चौथाई से कम सदस्य शामिल हैं, जो निर्वाचित हुए हैं, या

(ii) कर लगाने वाले प्रस्ताव के पारित होने की तारीख से पहले तीन महीनों के भीतर किसी भी समय, इसकी नकदी शेष रुपये 20,000 या पिछले वित्तीय वर्ष में अर्जित आय का दसवां हिस्सा, जो भी कम हो से नीचे गिर गई है।

(2) पूर्वगामी खंड में दिए गए प्रावधान के अनुसार, स्थानीय सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ कोई अन्य कर, जो भारत सरकार की धारा 80- ए की उपधारा (3) के खंड (ए) के तहत बनाए गए नियमों के तहत है। अधिनियम, एक स्थानीय प्राधिकारी को गवर्नर- जनरल की पूर्व मंजूरी के बिना स्थानीय विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा लागू करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है।

(3) स्थानीय सरकार और काउंसिल में गवर्नर- जनरल की पूर्व मंजूरी से, कोई भी कर।

62. (1) एक समिति, एक विशेष बैठक में धारा 61 के तहत कोई भी कर लगाने का प्रस्ताव करने के लिए एक संकल्प पारित करें।

(2) * * * * *

(3) * * * * *

(12) * * * * *

उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि कर लगाने के लिए पंजाब सरकार की पिछली मंजूरी तीन आकस्मिकताओं के तहत आवश्यक थी, अर्थात्, यदि मामला- (ए) प्रावधानों (1) और (ii) द्वारा कवर किया गया था। - धारा 61 की धारा (1), (बी) उप- धारा (2) और (सी) उप- धारा (3)। इस मामले में वादी द्वारा यह साबित नहीं किया गया है कि जल- कर प्रावधानों के अंतर्गत आता था धारा 61(1) (ए) (1) का। जैसा कि प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है, यह अच्छी तरह से हो सकता है कि यह कर 61(2) के अंतर्गत आता है और इसीलिए इसे पंजाब सरकार की पिछली मंजूरी के साथ लगाया गया था, जैसा कि अधिसूचना में बताया गया है। वादी को यह दिखाना था कि यह कर धारा 61 (1) (ए) (1) के प्रावधानों के अंतर्गत आता है और सरकार की पिछली मंजूरी की आवश्यकता थी, क्योंकि यह कर दो प्रावधानों (1) में से किसी एक में आता था। इस तथ्य को स्थापित करने में विफल रहने पर, यह माना जाएगा कि सरकार की पिछली मंजूरी प्राप्त की गई थी क्योंकि यह कर अधिनियम की धारा 61(2) के अंतर्गत आता था। यदि यही स्थिति है, तो 10 अप्रैल की अधिसूचना के अंतर्गत गृहकर को कवर किया जाएगा। पंजाब सरकार द्वारा जारी 1956, धारा 62- ए के तहत ही मान्य होगा। राज्य सरकार समिति से कोई भी शुल्क लगाने की मांग कर सकती है धारा 61 में उल्लिखित कर पहले से नहीं लगाया गया है। पार्टियों का यह सामान्य मामला है कि गृह- कर धारा 61(1) (ए) (i) के अंतर्गत आता है और जल- कर, जैसा कि मैंने पहले ही ऊपर कहा है, धारा 61(2) के प्रावधानों के अंतर्गत आता है। अधिनियम की धारा 61(1) (ए) (आई) नहीं। इसका मतलब है, समिति द्वारा पहले धारा 61(1) (ए) (आई) के तहत कोई कर नहीं लगाया गया था और यही कारण है कि सरकार गृह- कर लगाने के लिए धारा 62- ए(1) के तहत वैध निर्देश जारी कर सकती है। जो धारा 61(1) (ए) (आई) के अंतर्गत आता था। चूंकि समिति 21 मई, 1955 की अधिसूचना में उल्लिखित इस आदेश को पूरा करने में विफल रही, इसलिए सरकार 10 अप्रैल, 1956 की अधिसूचना जारी कर सकती थी, जिससे यह कर लगाया जा सके।

हालाँकि, तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि समिति द्वारा पहले लगाया गया जल- कर भी धारा 61(1) (ए) (i) के प्रावधानों के अंतर्गत आता था, तो क्या यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती? धारा 62- ए(1) के तहत समिति को हाउस- टैक्स लगाने की आवश्यकता के लिए वैध निर्देश जारी करें जो भी उसी प्रावधान के अंतर्गत आता था? धारा 62- ए कहता है-

"62- ए (1) राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित विशेष या सामान्य आदेश द्वारा, एक समिति से धारा 61 में उल्लिखित कोई भी कर लगाने की अपेक्षा कर सकती है, जो ऐसी दर पर और ऐसी अवधि के भीतर नहीं लगाया जाएगा जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है। अधिसूचना और समिति उसके अनुसार कार्य करेगी।

(2) राज्य सरकार पहले से लगाए गए किसी भी कर की दर को संशोधित करने के लिए एक समिति की आवश्यकता कर सकती है और उसके बाद समिति राज्य सरकार द्वारा निर्देशित अवधि के भीतर आवश्यकतानुसार कर को संशोधित करेगी।

(3) यदि समिति उप- धारा (1) या (2) के तहत पारित किसी भी आदेश को पूरा करने में विफल रहती है, तो राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित एक उपयुक्त आदेश द्वारा, कर लगा सकती है या संशोधित कर सकती है। इस प्रकार पारित आदेश ऐसे संचालित होगा मानो यह समिति द्वारा विधिवत पारित एक प्रस्ताव हो और मानो प्रस्ताव धारा 62 में निहित प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृत किया गया हो।"

घनशाम दास, आदि बनाम नगरपालिका समिति, भिवानी, आदि (पंडित, जे.)

अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क यह था कि धारा 61(1) (ए) के तहत, समिति केवल एक कर लगा सकती है जो इमारतों और भूमि पर मालिक द्वारा देय था और वह ऐसा नहीं कर सकती थी कि ऐसी इमारतों और जमीनों के वार्षिक मूल्य पर 12 1/2 प्रतिशत से अधिक। उन्होंने प्रस्तुत किया कि समिति द्वारा पूर्व में भवनों के वार्षिक मूल्य पर 3 1/8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लगाए गए जल- कर को धारा के तहत कार्यवाही करके सरकार द्वारा 62- ए (2) और (3) के तहत वार्षिक मूल्य पर 12 1/2 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ऐसे भवनों और भूमि के मालिकों पर कोई नया कर नहीं लगाया जा सकता है। चूंकि सरकार ने धारा 62- ए की उपधारा (2) के तहत कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन धारा 62- ए (1) के तहत आदेश जारी कर धारा 62- ए की उपधारा (3) के तहत हाउस टैक्स लगा दिया। विद्वान वकील के अनुसार, उक्त अधिरोपण अवैध था।

इस विवाद में भी कोई दम नज़र नहीं आता। जब धारा 61(1) (ए) (i) इमारतों और भूमि पर मालिक द्वारा देय कर की बात करती है, जो वार्षिक मूल्य पर 12 1/2 प्रतिशत से अधिक नहीं है। मेरी राय में, इसका मतलब यह है कि इमारतों और भूमि पर कर लगाने के लिए सरकार द्वारा वार्षिक मूल्य पर 12 1/2 प्रतिशत की बाहरी सीमा तय की गई है। इमारतों और जमीनों पर मालिक द्वारा देय कर को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है और अलग-अलग नाम दिए जा सकते हैं, जैसे, गृह- कर और जल- कर, लेकिन कानून द्वारा तय की गई एक सीमा है और वह यह है कि ये सभी कर भूमि और भवन एक साथ मिलाकर उनके वार्षिक मूल्य के 12 1/2 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील के तर्क पर भी सरकार जल- कर को 12 1/2 प्रतिशत तक बढ़ा सकती है। इसका मतलब यह है कि 6 1/4 प्रतिशत की दर से गृहकर लगाने से वादीगण को कोई भौतिक हानि नहीं हुई। क्योंकि यदि इस कर को पहले से लगाए गए जल- कर में जोड़ दिया जाए तो कुल 12 1/2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यह तर्कसंगत नहीं है कि विधायिका की मंशा थी कि अकेले जल- कर या उस मामले के लिए, कोई भी कर, जो पहली बार में लगाया गया था, उसे अकेले 12 1/2 प्रतिशत की सीमा तक बढ़ाया जा सकता था और भूमि और इमारतों पर कोई अन्य कर नहीं लगाया जा सकता था, भले ही दोनों कर एक साथ लेने पर उस सीमा से अधिक न हों। जब विधायिका धारा 61(1) (ए) में 'कर' शब्द का उपयोग कर रही है, तो यह इमारतों और भूमि पर 'कर' का उल्लेख कर रही थी। दूसरे शब्दों में, इमारतों और जमीनों के मालिक को उनके वार्षिक मूल्य पर अधिकतम 2 1/2 प्रतिशत से अधिक का भुगतान करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। 12 1/2 प्रतिशत की बाहरी सीमा को पार नहीं किया जा सकता है, हालांकि इमारतों और भूमि पर कर विभिन्न मदों के तहत एकत्र किया जा सकता है। इसलिए, मेरे विचार में, सरकार 21 मई, 1955 को धारा 62- ए(1) के तहत निर्देश जारी करने के अपने अधिकार में थी और जब से समिति उन्हें पूरा करने में विफल रही, सरकार ने धारा 62- ए (3) के तहत 10 अप्रैल, 1956 की अधिसूचना के माध्यम से वैध रूप से हाउस- टैक्स लगाया।

यह उल्लेख किया जा सकता है कि बहस के दौरान अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए दोनों आधारों को इस न्यायालय में दायर अपील के आधारों में नहीं लिया गया था क्योंकि मुद्दा शुद्ध कानून में से एक था, इसलिए मैंने उन्हें बहस करने की अनुमति दी। वही।

मैंने ऊपर जो कहा है, उसे ध्यान में रखते हुए, यह अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है। हालांकि, इस मामले की परिस्थितियों में। मैं पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ता हूँ।

बी.आर.टी

अपीलीय सिविल

माननीय न्यायमूर्ति दया कृष्ण महाजन, जे. के समक्ष

साधु सिंह - अपीलकर्ता

अधिक सत्य

पंजाब रोडवेज और अन्य - प्रतिवादी

F. A. O. 68 of 1963

27 सितंबर 1967

साक्ष्य अधिनियम (1872 का 1) - क्रम 13 और 40 मोटर वाहन अधिनियम (1939 का IV) 3. 110 मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण क्या आपराधिक अदालत के फैसले से बाध्य है।

माना गया कि आपराधिक अदालत का निर्णय मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के तहत गठित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण जैसे वैधानिक न्यायाधिकरणों पर बाध्यकारी है।

श्री जी 5. ज्ञानी के आदेश से प्रथम अपील। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, पंजाब, चंडीगढ़, दिनांक 5 फरवरी, 1963 (मोरार वाहन अधिनियम, 1939 के तहत), आवेदक द्वारा दायर दावा आवेदनों को खारिज करते हुए

अपीलकर्ताओं के लिए जी.एस. ग्रेवाल और पी.एस. मान, अधिवक्ता।

प्रतिवादी के लिए गोपाल सांगी, महाधिवक्ता, पंजाब।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

करन वीर सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer)

बिलासपुर, यमुनानगर , हरियाणा